झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

संख्या – 526/वि० दिनांक – 23/02/2024

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 114 (1) एवं झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम, 2011 की धारा 97 के प्रावधानानुसार पंचायतों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्) एवं नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा वित्त संबंधी मामलों पर सरकार को परामर्श एवं अनुशंसा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नवत् हैं :–

(1) श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा0प्र0से0 (से0नि0) (झाः1991) – **अध्यक्ष**

(2) श्री हरीश्वर दयाल, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र), संत जेवियर्स कॉलेज, राँची – **सदस्य**

(3) निदेशक, पंचायती राज (पंचायती राज विभाग), झारखण्ड (पदेन) – **सदस्य**

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2049/वि0 दिनांक 29.07.2022 द्वारा वित्त विभागीय पुनर्गठन के आलोक में निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, वित्त विभाग के पद को निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग में समाहित करते हुए पुनर्नामित किया गया है। अतः राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग होंगे।

3. पंचम राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड निम्नलिखित विषयों पर अपनी अनुशंसा देगा:–

(क) वैसे सिद्धांत जो विनियमित करे :–

(i) राज्य और जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के बीच सरकार द्वारा उद्ग्रहण योग्य ऐसे कर, शुल्क, पथ कर तथा फीस के शुद्ध आगम का वितरण तथा ऐसे आगम का जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच उनके अपने–अपने अनुपात के अनुसार वितरण।

(ii) जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित किए जाने वाले कर शुल्क एवं फीस का अवधारण।

(iii) राज्य की संचित निधि से जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान।

(ख) जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय।

(ग) नगर निकायों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर निम्न अनुशंसा एवं परामर्श देना :–

(i) नगर निकायों को करों, महसूलों, पथकर (टोल) एवं शुल्कों के शुद्ध आगम का अन्तरण,

(ii) नगर निकायों को कर, महसूल, पथकर (टोल) और शुल्क का समनुदेशन (आवंटन),

(iii) राज्य की संचित निधि से नगर निकायों को सहायता अनुदान की स्वीकृति, और

(iv) नगर निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अन्य अपेक्षित उपाय।

(घ) जिला परिषद् पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग की निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–I सह–पठित अनुच्छेद 243–Y तथा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 114 (1) के तहत् चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की समाप्ति पर पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन दिनांक 28.01.2024 से पाँच वर्षों के लिए अर्थात् 27.01.2029 तक किया जाता है।

5. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 12.02.2024 में मद संख्या– 18 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

23/02/24

(प्रशांत कुमार)

सचिव

ज्ञापांक : वित्त (SFC) –31/01/2024 526 /वि० /राँची, दिनांक – 23/02/2024

प्रतिलिपि : सचिव, झारखण्ड विधान सभा/ निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ महाधिवक्ता झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ माननीय वित्त मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24

(प्रशांत कुमार)

सचिव

ज्ञापांक : वित्त (SFC) –31/01/2024 526 /वि० /राँची, दिनांक – 23/02/2024

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड / सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी आयुक्त/ वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के सभी पदाधिकारी/ जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड राँची/ पी०एम०यु० सेल, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला परिषद्/ सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/ सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/ सभी प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण संस्थान एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24

(प्रशांत कुमार)

सचिव

ज्ञापांक : वित्त (SFC) –31/01/2024 526/वि० /राँची, दिनांक – 23/02/2024

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली एवं स्थानीय आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : वित्त (SFC) –31/01/2024 526/वि० /राँची, दिनांक – 23/02/2024

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को इस आदेश के साथ कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e- गजट के रूप में प्रशाखा –31, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।

23/02/24

(प्रशांत कुमार)
सचिव